83 6
6.4

भारत सरकार /GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय /MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड /RAILWAY BOARD)

RBE No. 42/2011

No. E(P&A)I-2010/RT-2 New Delhi, dated 29 .03.2011.

06. APR 2011

The General Managers,
All Indian Railways.

Sub: Safety Related Retirement Scheme covering Drivers, Gangmen and other safety categories with Grade Pay of ₹ 1800/-.

Ref: Board's letter of even number dated 11.09.2010 and 24.09.2010

****

The demands raised by the employees' Federations, such as constitution of a lower level Assessment Committee at Divisions, processing of the retirement/recruitment cases more than once in a year, etc., under Liberalized Active Retirement Scheme for Guaranteed Employment for Safety Staff (LARSGESS) have been under consideration of Board for some time. It has been decided that the retirement/recruitment process under the LARSGESS in respect of all safety categories of staff including Gangmen in Grade pay of ₹ 1800/p.m. and Drivers/Loco Pilots may be done twice in a year as per the annexed time schedule. The suitability of the wards for recruitment under the Scheme may be adjudged by the Assessment Committee as follows:-

(i) Assessment Committee of 3 JAG Officers at Divisional Level to adjudge the suitability of wards for recruitment against safety category post in Grade Pay of ₹1800/-p.m., and

(ii) Assessment Committee of 3 SAG Officers at Headquarter Level may continue to adjudge the suitability of wards of Drivers/Loco Pilot.

2. The process of retirement/recruitment may be started from July 2011 for the current calendar year 2011.

3. The other terms and conditions of the Scheme will remain the same.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

5. Kindly acknowledge receipt.

(Dharam Pal)
Deputy Director Estt.(P&A) II,
Railway Board

ANNEXURE

Time schedule

(a) 1^{st} half - January - June

(i)	Cut off date for reckoning eligibility of the employee and his ward	: 1^{st} January
(ii)	Last date for receiving the applications	: 31^{st} January
(iii)	Scrutinizing the applications	: 1^{st} February to $28^{th}/29^{th}$ February
(iv)	Last date for withdrawal of application	: $28^{th}/29^{th}$ February
(v)	Conducting of Physical Test/Written Test etc.	: 1^{st} March to 30^{th} April
(vi)	2^{nd} chance to failure in written test in first chance giving a gap of 20-30 days.	: Upto 31^{st} May
(vii)	Medical exam, acceptance of retirement/ joining the job by the wards	: 1^{st} to 30^{th} June

(b) 2^{nd} half July - December

(i)	Cut off date for reckoning eligibility of the employee and his ward	: 1^{st} July
(ii)	Last date for receiving the applications	: 31^{st} July
(iii)	Scrutinizing the applications	: 1^{st} to 31^{st} August
(iv)	Last date for withdrawal of application	: 31^{st} August
(v)	Conducting of Physical Test/Written Test etc.	: 1^{st} Sept. to 31^{st} October
(vi)	2^{nd} chance to failure in written test in first chance giving a gap of 20-30 days.	: Upto 30^{th} November
(vii)	Medical exam, acceptance of retirement/ joining the job by the wards	: 1^{st} to 31^{st} December

*****

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

06 APR 2011
731 RB

आर.बी.ई. सं. 42 /2011

सं. ई (पी एंड ए)I-2010/आरटी-2 नई दिल्ली, दिनांक: 29 .03.2011

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें।

विषयः ड्राइवर, गैंगमैन तथा ₹ 1800/- की ग्रेड पे वाली अन्य संरक्षा कोटियो पर लागू संरक्षा संबद्ध सेवानिवृत्ति योजना।

संदर्भः बोर्ड के दिनांक 11.09.2010 तथा 24.09.2010 के समसंख्यक पत्र।

****

कर्मचारी संघों द्वारा उठाई गई मांगें जैसे मंडलों पर निम्नतर स्तर की मूल्यांकन समिति का गठन, संरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीशुदा रोज़गार के लिए उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृत्ति योजना (एलएआरएसजीईएसएस) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति/भर्ती मामलों की प्रक्रिया वर्ष में एक बार से अधिक बार करना आदि कुछ समय से बोर्ड के विचाराधीन रहे हैं। यह विनिश्चय किया गया है कि गैंगमैन सहित ₹ 1800/- प्रतिमाह ग्रेड पे में सभी संरक्षा कोटियों की तथा ड्राइवरों/लोको पायलटों की एल.ए.आर.एस.जी.ई.एस.एस. के अंतर्गत सेवानिवृत्ति/भर्ती प्रक्रिया संलग्न समय अनुसूची के अनुसार वर्ष में दो बार की जाए। इस योजना के अंतर्गत भर्ती के लिए आश्रितों की उपयुक्तता का आकलन नीचे दर्शायी गई मूल्यांकन समिति (Assessment Committee) द्वारा किया जाए:-

(i) ₹ 1800/- प्रतिमाह की ग्रेड पे में संरक्षा कोटि के पद पर भर्ती के लिए आश्रितों की उपयुक्तता के बारे में निर्णय मंडल स्तर पर 3 कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की निर्धारण समिति द्वारा, और

(ii) ड्राइवरों/लोको पायलट के आश्रितों की उपयुक्तता का आकलन मुख्यालय स्तर पर 3 वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

2. चालू कलेंडर वर्ष 2011 के लिए सेवानिवृत्ति/भर्ती की प्रक्रिया जुलाई, 2011 से शुरू की जाए।

3. योजना के अन्य नियम एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

5. कृपया पावती दें।

(धर्म पाल)
उप निदेशक स्था.(वेतन एवं भत्ता) II
रेलवे बोर्ड

क्रमश :.......2/-

अनुबंध

समय अनुसूची

(क) पहली छमाही - जनवरी - जून

(i)	कर्मचारी तथा उसके आश्रित की पात्रता की गणना के लिए निर्धारित तारीख	:	1 जनवरी
(ii)	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	:	31 जनवरी
(iii)	आवेदनों की संवीक्षा	:	1 फरवरी से 28/29 फरवरी
(iv)	आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख	:	28/29 फरवरी
(v)	शारीरिक परीक्षा/लिखित परीक्षा आदि आयोजित करना	:	1 मार्च से 30 अप्रैल
(vi)	पहली बार में लिखित परीक्षा में असफल हो जाने वालों को 20-30 दिन के अंतराल में दूसरा अवसर देना	:	31 मई तक
(vii)	चिकित्सा जांच, सेवानिवृत्ति स्वीकार करना/आश्रितों द्वारा नौकरी का कार्यभार संभालना	:	1 से 30 जून

(ख) दूसरी छमाही - जुलाई - दिसंबर

(i)	कर्मचारी तथा उसके आश्रित की पात्रता की गणना के लिए निर्धारित तारीख	:	1 जुलाई
(ii)	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	:	31 जुलाई
(iii)	आवेदनों की संवीक्षा	:	1 से 31 अगस्त
(iv)	आवेदन वापस लेने की अंतिम तारीख	:	31 अगस्त
(v)	शारीरिक परीक्षा/लिखित परीक्षा आदि आयोजित करना	:	1 सितंबर से 31 अक्टूबर
(vi)	पहली बार में लिखित परीक्षा में असफल हो जाने वालों को 20-30 दिन के अंतराल में दूसरा अवसर देना	:	30 नवंबर तक
(vii)	चिकित्सा जांच, सेवानिवृत्ति स्वीकार करना/आश्रितों द्वारा नौकरी का कार्यभार संभालना	:	1 से 31 दिसंबर

*****